न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/99

1. जसवन्त कंवर पत्नी स्व0 राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत ।
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत ।
3. शकुन कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।

बनाम

1. भंवर बाई पुत्री रतन सिंह पत्नी शिवमंगल सिंह जाति राजपूत निवासी बाटोदा वाया पिपलाई तहसील वामनवास जिला सवाईमाधोपुर ।
2. आनन्दी बाई उर्फ आनन्द कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बाटोदा वाया पिपलाई तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर ।
3. धनराज सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी चौहान सदन निगम कॉलोनी रोड छावनी, कोटा ।
4. मोहन सिंह पुत्र रतन सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. विजय लक्ष्मी पत्नी मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   1/2. सत्येन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   1/3. धर्मेन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   1/4. दीपिका सिंह पुत्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासीगण 05–ओ 11 महावीर नगर – तृतीय कोटा ।
5. श्रीमती चतर कंवर पुत्री रतनसिंह पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी जोल्दा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर ।
6. संतोष कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. देवेन्द्र कंवर उर्फ अच्छन कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी पृथ्वीराज जाति राजपूत मकान नं0 103 दीप विहार बजरी मण्डी रोड नियर 200 फीट वाईपस वैशाली नगर, जयपुर ।
8. बृजकंवर पुत्री रतन सिंह जाति राजपूत निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. सत्येन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत मकान नम्बर 5–ओ– 11 महवीर नगर– तृतीय कोटा ।
10. धर्मेन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत मकान नं0 05 –ओ–11 महावीर नगर, तृतीय, कोटा ।
11. द स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

ल संख्या : 16/148

1. चतर कंवर पुत्री रतनसिंह पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी जोल्दा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर ।
2. देवेन्द्र कंवर उर्फ अच्छन कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी पृथ्वीराज जाति राजपूत मकान नं0 103 दीप विहार बजरी मण्डी रोड नियर 200 फीट वाईपस वैशाली नगर, जयपुर ।
3. बृजकंवर पुत्री रतन सिंह जाति राजपूत निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. जसवन्त कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत ।
   1/2. जितेन्द्र सिंह आत्मज राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद हाल निवासी बी–439, इन्द्रा विहार कोटा ।
   1/3. शकुन कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह पत्नी हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी बी–17 ए, सिंह भूमि बिचून हाउस खातीपुरा, जयपुर ।
2. भंवर बाई पुत्री रतन सिंह पत्नी शिवमंगल सिंह जाति राजपूत निवासी बाटोदा वाया पिपलाई तहसील वामनवास जिला सवाईमाधोपुर ।
3. आनन्दी बाई उर्फ आनन्द कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बाटोदा वाया पिपलाई तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर ।
4. धनराज सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी चौहान सदन निगम कॉलोनी रोड छावनी, कोटा ।
5. मोहन सिंह पुत्र रतन सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. विजय लक्ष्मी पत्नी मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   5/2. सत्येन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   5/3. धर्मेन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   5/4. दीपिका सिंह पुत्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासीगण 05–ओ 11 महावीर नगर – तृतीय कोटा ।
6. संतोष कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. सत्येन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत मकान नम्बर 5–ओ– 11 महवीर नगर– तृतीय कोटा ।
9. धर्मेन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत मकान नं0 05 –ओ–11 महावीर नगर, तृतीय, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 16/99 में अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 एवं 6 की ओर से अपील संख्या 16/99 में एवं अपील संख्या 16/148 में 1/1 से 1/3 की ओर से।
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपील संख्या 16/148 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 16/99 में रेस्पोडेन्ट कम 05, 07 व 08 की ओर से ।
4. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 09 व 10 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी (मृतक) राजेन्द्र सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोटडादीप सिंह तत्कालीन निजामत बडौद हाल तहसील दीगोद में 118 बीघा 12 बिस्वा, भंवर सिंह बेटा ईश्वरी सिंह के खाते में दर्ज चली आ रही थी उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि गोरधन सिंह व रतन सिंह के खाते में दर्ज हुई जिमसें गोरधन सिंह का 1/2 व रतन सिंह का 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ तथा आपसी बंटवारा होने पर 1/2 हिस्से की भूमि रतन सिंह के खाते दर्ज हुई । बाद सेटलमेंट रतन सिंह के हिस्से की भूमि रतन सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अनार बाई अप्रार्थी कम 01 के खाते में दर्ज हुई और उसके नये नम्बर कायम कर दिये । उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है जो अप्रार्थी कम 01 को उनके ससुर व पति की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 से 9 का समान हिस्सा है । प्रार्थी के पिता रतन सिंह ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 23.10.1996 को मकान के सम्बन्ध में आलेखित की थी जिसमें यह नोट अंकित किया कि 'मेरी पत्नी अनारबाई उसके जीवनकाल में सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग कर सकेगी तथा किसी को रहन, बेच, दान व मुन्तकिल नहीं कर सकेगी ।' इस प्रकार अप्रार्थी कम 01 अपने जीवनकाल में केवल मात्र उपयोग व उपभोग ही कर सकती थी उन्हें आराजी को रहन, बेचान एवं दान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । अप्रार्थी कम 06 चतरकंवर ने अपनी माता से मिलीभगत कर उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 82 की 3.76 हैक्टर भूमि का दान अपने पक्ष में करवा लिया तथा उक्त दान पत्र को दिनांक 18.06.2012 को पंजीयन करवा लिया जो विधि – विरूद्ध है । इसी

प्रकार अप्रार्थी कम 08 ने अपनी माता अप्रार्थी कम 01 से मिलीभगत करते हुए उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 843 की 1.74 हैक्टर भूमि का दान अपने पक्ष में करवा लिया और दानपत्र को पंजीकृत करवा लिया । उक्त दोनों दानपत्र पर गवाह नम्बर 1 बृजकंवर पुत्री रतन सिंह को बनाया गया है जो मन्दबुद्धि है जो सोचने समझने में सक्षम नहीं हैं इस बात को रतन सिंह की वसीयत में भी लिखा गया है । गवाह नं0 02 शिव प्रकाश को बनाया गया है । अप्रार्थी कम 06 के दानपत्र में गवाह शिवप्रकाश का पता 419 सूजाजी का मोहल्ला मोखापाडा कोटा अंकित किया गया है जबकि अप्रार्थी कम 08 के दानपत्र में गवाह शिवदा का पता कोटडादीपसिह अंकित किया गया है दोनों दानपत्र एक ही दिन पंजीकृत करवाये गये हैं । दोनों गवाह कानून अमान्य हैं । दोनों दानपत्रों को निरस्त कराये जाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिये हैं । प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ।

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद की कुल 05 किता की 9.54 हैक्टर आराजी को अथवा उकसे किसी भाग को अप्रार्थी कम 01 किसी प्रकार से रहन, बेचान, दान, वसीयत व अन्तरण न्हीं करे और अप्रार्थी कम 2 से 09 अपने पक्ष में किसी प्रकार का प्रलेख उक्त भूमियों के सम्बन्ध में नहीं लिखावें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें और न रहन बेचान करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.01.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया कि वादग्रस्त आराजी के मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी (मृतक) राजेन्द्र सिंह के वारिसान द्वारा अपील संख्या 16/99 एवं अप्रार्थी कम 06 चतर कंवर ने अपील संख्या 16/148 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपनी–अपनी अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 निरस्त करने का कथन किया ।

7. अपील संख्या 16/99 में रेस्पोडेन्ट कम 09 व 10 की ओर से कॉस आब्जेक्शन पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश को निरस्त फरमाया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपील संख्या 16/99 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि पक्षकारान स्व0 रतन सिंह जी के पुत्र–पुत्रियॉ एवं पौत्र पौत्री एवं पुत्र वधु हैं । राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद में 118 बीघा 12 बिस्वा भूमि भंवर सिंह आत्मज ईश्वरी सिंह के खाते में थी तथा भंवर सिंह की मृत्यु के बाद पुत्र गोरधन सिंह एवं रतन सिंह के 1//– 1/2 दर्ज हुई तथा बाद सेटलमेंट से रतन सिंह जी के 1/2 हिस्से की भूमि पत्नी अनारबाई के खाते में कुल 05 किता की 9.54 हैक्टर भूमि दर्ज रही जो विवादित है । आराजी पुश्तैनी है जिस पर पक्षकारान का जन्म से स्वत्व व अधिकार है जिसके लिए वादी राजेन्द्रसिंह ने घोषणा एवं विभाजन का वाद एवं उसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजथान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था और यह प्रार्थना की थी कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् अनारबाई के द्वारा जो दानपत्र निष्पादित किया गये हैं उनके आधार पर ताफैसला वाद नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किये जावें और राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार कर दोनों दानपत्रों एवं वसीयत के अनुसार इंतकाल नियमानुसार निस्तारित करने का आदेश पारित करते हुए पक्षकारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक मौके की स्थिति यथावत रखने का आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य के विपरीत अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया है । निर्णय दिनांक 18.09.1962 में ही विवादित आराजी को पुश्तैनी माना गया है । अनारबाई को सहखातेदार घोषित किये बिना राजीनामे में आराजी दी गई थी । अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अनारबाई को जो आराजी दी गई थी वो पुश्तैनी होने से अनारबाई को दान एवं वसीयत करने का अधिकार नहीं था । सिविल न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है जिस पर गौर नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं माना है जो त्रुटिपूर्ण है । सिविल न्यायालय में स्थगन होने के बावजूद नामान्तरकरण खोलने का जो आदेश पारित किया गया है उससे अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी । दानग्रहिता एवं वसीयती का कोई काउन्टर क्लेम नहीं था फिर भी यह आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । पारिवारिक समझौते में कुछ आराजी एक पुत्र को दी गई जो कि कुवारे ही फौत हो गये वो आराजी अनारबाई के खाते बंधी । अनारबाई को इस आराजी को दान एवं वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलआर 1988 (1) पेज 850, आरबीजे (5) 1998 पेज 411 उद्धरत की ।

10. अपील संख्या 16/148 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं है । अनारबाई प्रतिवादी अपीलान्टगण की माता थी । सन् 1962 में उपखण्ड अधिकारी द्वासरा पारित निर्णय के अनुसार अनारबाई को ग्राम कोटडादीप सिंह की 40 बीघा 15 बिस्वा आराजी प्राप्त हुई है जो उनके खाते में दर्ज होकर यह आराजी अनारबाई के खाते एवं कब्जे में रही । वादी रेस्पोडेन्टगण को भी विभाजन में आराजी प्रापत हुई जो पृथक–पृथक उनके खाते एवं कब्जे में है । विभाजन के निर्णय और डिक्री के अनुसार रतन सिंह जी के पुत्रों एवं पत्नी को कुल 176 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई थी तथा शेष भूमि रतन सिंह जी को प्राप्त हुई थी । अनारबाई को जो आराजी प्राप्त हुई उसके वो तन्हा मालिक थी । विभाजन के निर्णय और डिक्री के अनुसार प्रत्येक को प्राप्त भूमि पैतृक नहीं थी वरन् उनकी स्वअर्जित

थी। सन् 1968 में अनारबाई और रतन सिंह का पुत्र लोकेन्द्र सिंह उत्पन्न हुआ इस कारण रतन सिंह ने उनके तन्हा खाते में से 7.23 हैक्टर आराजी लोकेन्द्र सिंह के पृथक खाते में दर्ज करवायी । लोकेन्द्र सिंह की अविवाहित अवस्था में सन् 2000 में मृत्यु हो गयी थी और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 के अनुसार लोकेन्द्र सिंह की आराजी अनारबाई के खाते में दर्ज हुई । अनारबाई को आराजी को रहन, बेचान एवं वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था इसके बाबत् वादीगण को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है । सिविल न्यायालय ने जो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है वो भी प्रभावशील है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं था । विभाजन के निर्णय और डिक्री को रतनसिंह के जीवनकाल में कभी चैलेंज नहीं किया और इस निर्णय एवं डिक्री की पालना में वादीगण हिस्सा प्राप्त कर चुके हैं । वादीगण अपनी आराजी को काश्त करते हैं और अपीलान्ट को आराजी को काश्त करने नहीं देते है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जसवंत कंवर के द्वारा पेश की गई अपील संख्या 16/99 खारिज फरमायी जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 2008 (एससी) पेज 1490, डीएनजे (एससी) 1994 पेज 12, आरआरडी अजीम मोहम्मद बनाम महाराजा विजयसिंह पेज 620, एआईआर 2010 (एससी) पेज 296, डब्ल्यूएलसी (1) 2018 पेज 26, डब्ल्यूएलसी (2) 2016 पेज 546 उद्धरत की ।

11. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने फर्द के साथ न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम– 02 कोटा के निर्णय दिनांक 03 नवम्बर, 2016 की फोटो प्रति पेश की है जिसमें चतर कंवर एवं अन्य की अपील विरूद्ध आदेश सिविल न्यायाधीश, दीगोद दिनांक 04.11.2015 प्रकरण संख्या 76/2012 खारिज की गई है जिसे शामिल मिसल किया गया ।

12. रेस्पोडेन्ट कम 09 एवं 10 के लायक अधिवक्ता ने अपील संख्या 16/99 में अपनी बहस में कथन किया कि जब सिविल न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है और वह आज की तारीख में प्रभावी है तो परीक्षण न्यायालय को स्थगन आदेश जारी नहीं करना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय के द्वारा प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं माना है फिर भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2013–22 संलग्न है जिसमें रतन सिंह के खाते में कुल 18 किता की 215 बीघा 02 बिस्वा आराजी दर्ज है । न्यायालय सिविल न्यायाधीश दीगोद के निर्णय दिनांक 04.11.2015 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार इन्हीं पक्षकारान के द्वारा दर्ज प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उभय पक्षकारान को रिकॉर्ड एवं कब्जे की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी की फोटो प्रति संलग्न है । उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 18.09.1962 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार आराजी का विभाजन किया गया है । अनारबाई के खाते की फोटो प्रति, मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति, अनारबाई के खाते की नकल जमाबन्दी संवत् 2047–50, लोकेन्द्र सिंह के खाते की नकल जमाबन्दी संवत् 2043–62, नामान्तरकरण संख्या 314 की फोटो प्रति जिसके अनुसार लोकेन्द्र सिंह की मृत्यु पर अनारबाई के नाम आराजी दर्ज करने के आदेश हुए, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 जिसके

अनुसार अनारबाई के खाते में नया खाता संख्या 02 में कुल 05 किता की 8.54 हैक्टर आराजी दर्ज है । लोकेन्द्र सिंह का स्कूल का प्रमाण पत्र, बृजकंवर का स्कूल का प्रमाण पत्र, अनारबाई के द्वारा निष्पादित वसीयत की फोटो प्रति, अनारबाई के द्वारा निष्पादित दोनों दानपत्रों की फोटो प्रति, भू–प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति, फर्द इंकलाब खाता अनारबाई, राजेन्द्र सिंह, धनराज सिंह और मोहन सिंह, रतन सिंह पेश किये हैं ।

14. पत्रावली पर सिविल न्यायाधीश दीगोद के निर्णय दिनांक 04.11.2015 प्रकरण संख्या 76/212 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार उन्होंने पक्षकारों के मध्य लम्बित प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । अपील में फर्द के साथ अपर न्यायाधीश क्रम –2 के निर्णय दिनांक 03 नवम्बर, 2016 की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार इस निर्णय के खिलाफ पेश की गई अपील को खारिज किया गया है । इस प्रकार इस प्रकरण में सिविल न्यायालय के द्वारा रिकॉर्ड एवं मौक़े की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्षकारान को पाबन्द किया गया है । उक्त आदेश आज की तारीख में प्रभावशील है । सिविल न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने के उपरान्त उसी प्रकरण में राजस्व न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

15. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में अंतिम पृष्ठ में पैरा संख्या 02 में यह उल्लेख किया गया है कि हम प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना उचित पाते हैं । इस प्रकार पैरा संख्या 03 में भी सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को प्रमाणित नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज होने योग्य माना है और उसके उपरान्त अंतिम पैरे में प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार को दोनों दानपत्रों एवं वसीयत का इंतकाल निस्तारित करने के आदेश दिये हैं और पक्षकारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के इन तीनों पैरोग्राफ्स में उल्लेखित तथ्यों एवं निष्कर्ष से विरोधाभास है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 16/148 स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 निरस्त किया जाता है एवं अपील संख्या 16/99 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं इस अपील में पेश किये गये कॉस आब्जक्शन द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 09 व 10 स्वीकार किया जाता है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2016 निरस्त किया जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा